/

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः 1681 /55 बजट (मार्ग/सेतु- अनुरक्षण)/2018-19 दिनांकः 24/12/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-।/।।,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय आय-व्ययक में अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद में उपलब्ध बजट के सापेक्ष सामान्य अनुरक्षण कार्यो में आवंटन।

संदर्भः- शासनादेश संख्या-1503/।।। (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में कुल ₹ 220.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजनान्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में लोक निर्माण विभाग के खण्डो द्वारा लक्षित महत्वपूर्ण अनुरक्षण कार्यो यथाः सामान्य अनुरक्षण, झाड़ी कटान, नालियों की सफाई, पटरी भरान, दाग-धब्बो की मरम्मत, क्षतिग्रस्त स्कपर/पैरापिट की मरम्मत, किमी0 स्टोन की रंगाई व सफेदी, सेन्टर लाईन की सफेदी आदि विविध अनुरक्षण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डो को संलग्न सूची के स्तम्भ-11 के अनुसार अब कुल ₹ 23.00 करोड़ (₹ तेईस करोड़ मात्र) की धनराशि इंगित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

आवंटन की शर्तेः- (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ के द्वारा संलग्न विवरणानुसार खण्डवार अब आवंटित धनराशि का उपयोग, मार्गो/सेतुओं के उपरोक्तानुसार वर्णित अनुरक्षण कार्यो हेतु उच्च प्राथमिकता तथा समयबद्वता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा, तथा आवंटित धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 20.03.2019 से पूर्व नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) महत्वपूर्ण अनुरक्षण कार्यो के कियान्वयन से पूर्व एवं अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त अर्थात दोनो स्टेजों में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अनुरक्षण कार्यो की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जायेगी जिस पर उच्च विभागीय स्तर यथाः अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा खण्डवार आवंटन की सीमान्तर्गत ही अनुरक्षण कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा, किसी भी दशा में आवंटित धनराशि अन्य प्रयोजनों/मदो में व्यय नही की जायेगी और न ही आवंटित धनराशि से अधिक के दायित्व सृजित किये जायेंगे।

(4) आवंटित धनराशि अन्य प्रयोजनो में व्यय किये जाने, व्ययाधिक्य किये जाने अथवा योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि से अधिक के दायित्व सृजित किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ को दोषी/उत्तरदायी माना जायेगा जिनके विरूद्व सक्षम प्राधिकारी के स्तर से नियमानुसार कठोरतम् अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनश्चित की जायेगी।

(5) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ के द्वारा संलग्न सूचीनुसार अब आवंटित धनराशि का उपयोग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट अनुरक्षण कार्यो में स्वयं के स्तर से प्राथमिकता निर्धारित करते हुये किया जायेगा, तथा सामान्य अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत सम्बन्धी अनुरक्षण कार्यो हेतु इस कार्यालय स्तर से पृथक धनावंटन की मॉग नही की जायेगी, और न ही, मार्ग/सेतु अनुरक्षण सम्बन्धी उक्त वर्णित कार्यो के आगणन धनावंटन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ के द्वारा खण्डवार अब आवंटित धनराशि का उपयोग उपरोउल्लेखित अनुरक्षण कार्यो में किये जाने पर इसकी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की सूचना निम्न प्रारूप पत्र के अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख को इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

खण्ड का नामः- (धनराशि ₹ लाख में)

क0 सं0	किये गये अनुरक्षण कार्यो का विवरण, मोटर मार्ग का नाम सहित	किमी0 एवं चैनेज संख्या	अनुबन्ध संख्या एवं अनुबन्ध गठन की तिथि	सम्बन्धित ठेकेदार /फर्म का नाम	गठित अनुबन्ध की धनराशि	अनुरक्षण कार्य पर किया गया व्यय	अनुरक्षण कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि
	योग, खण्ड						

कमश पृष्ठ संख्या-2 पर

24/12/18

24.12.2018

(6) अनुरक्षण कार्यो में गुणवत्ता का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ–साथ वित्तीय मितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमो का समुचित अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आवंटित धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंन्ट 2017 के द्वारा निर्धारित प्रकियाओं/व्यवस्थाओं, बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, टेण्डर विषयक नियमो तथा अन्य सुसंगत स्थाई आदेशों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यक में अनुदान सं0 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु–04 जिला तथा अन्य सड़कें–राजस्व–337 सड़क निर्माण कार्य–03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

संलग्नः– कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0–सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।

(2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(3) वित्त नियंत्रक, कार्या0 प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो.नि.वि. देहरादून। आवश्यक साख–सीमा निर्गत करने हेतु।

(4) अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग ....।

(5) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ....।

संलग्नः– कार्यवार/खण्डवार आवंटन सूची (2 पृष्ठ)

(6) आई० टी० सैल, प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) कार्यालय लो० नि० वि०, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

24.12.2018, 24/12/18